कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सिरसा।

हिसार बाईपास रोड़, सिरसा टेलिफोन न0 01666–243307
Email:– forest_sirsa@yahoo.com&dfo.sir-hry@ nic.in

क्रमांकः 2055 दिनांकः 23/01/23

सेवा में,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0),
हरियाणा, पंचकुला।

विषयः **Diversion of 0.0030 ha. of forest land for access to BPCL retail outlet along Kalanwali-Deshu road km. 0.590 (RHS) at Village Kalanwali,under Forest Division & Distt. Sirsa.**
Online Proposal No. FP/HR/Approach/150645/2021

संदर्भः भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र क्रमांक 9-HRB066/2022-CHA दिनांक 24.05.2022

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र के सम्बंध में बिन्दू संख्या न0 2A (v) द्वारा मांगी गई सूचना अनुरूप केस से संबंधित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की अनुपालना में जिलाधीश सिरसा से प्राप्त **एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र** की मूल प्रति, प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा जमा करवाई गई **सी0ए0 की राशि के चालान की फोटो प्रति** तथा बिदुं संख्या 2(B) अनुसार मांगी गई रिर्पोट के मद्देनजर प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा प्रस्तुत **दस्तावेज/अण्डरटेकिंग की प्रति** निम्नहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित कर आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

सलग्न/उपरोक्त

वन मण्डल अधिकारी,
सिरसा। 23/01/2023

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम
हिसार टैरिटरी

BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
Hissar Territory

To,

दिनांक :-20.01.2022

Divisional Forest Officer

Sirsa Forest Division, Sirsa

Ref. No. Sr.No.1326/DFOS

Dated – 01.06.2022

Project name – Diversion of 0.0030 ha. Of forest land for construction of approach road for Retail Outlet for M/s BPCL corporation LTD. On Kalanwali –DeshuRoad, km 0.590 at village KalanwaliKhasra no. 747/2/1/4

(Online proposal no. FP/HR/Approach/150645/2022)

यह प्रमाणित किया जाता है कि, मै प्रदेशिक प्रबन्धक भारत पेट्रोलियम कोर लिमिटेड दूसरी मंजिल एस॰ जे॰ टावर सैक्टर -13p, तोशाम रोड हिसार - 125005 ने डायवर्जन के लिए आवेदन किया है जोकि ग्राम कलांवाली जिला सिरसा मे कलांवाली –देशु रोड , पर बीपीसीएल के रीटेल आउटलेट तक पहुचने के लिए है ।

मै वचन देता हूँ कि निम्नलिखित शर्तो का पालन किया जाएगा ।

1. वनभूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
2. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम पेड़ /पौधे काटे जाएगे । प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले पेड़ो की संख्या दो से अधिक नहीं होगी व कोई भी पौधे नहीं काटे जाएगे ।
3. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव मे दर्शाये गए उदेश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।
4. इस प्रस्ताव को 15 वर्षो ले लिए अनुमति प्रदान की जाएगी , इसके उपरांत पुन: यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी ।
5. जब किसी भी NPVकी राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
6. पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि (Periphery) पर दीवार से 1.5 मीटर जगह छोड़ कर 1.0 से 1.5 मीटर के अंतराल पर FicusBenjaminपेड़ो का वृक्षारोपण किया जाए ।
7. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पहुँच मार्ग (Entry/Exitor Deceleration / Acceleration) व विभाजन द्वीप (separator island) पर भी पौधारोपण किया जाएगा तथा विभाजक द्वीप का लोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं किया जाएगा ।
8. साथ लगते वन और वनभूमि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिए सभी प्रयास किए जाएगे ।
9. स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी पारिस्थिति मे किसी अन्य एजेंसी , विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा
10. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जाएगा ।
11. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जाएगा ।
12. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रिय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवो के सरक्षण , सुरक्षा तथा विकास हेतु समय समय पर लगाई जा सकती है ।
13. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी ।
14. इनमे से यदि किसी भी शर्त का उलल्घन वन सरक्षण अधिनियम 1980 का उलल्घन होगा तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and forest conservation rules ,2003 (Guidelines) 2019 मे उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।
15. यदि कोई अन्य सबन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी ।

कृते :- भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ।

प्रदेशिक प्रबन्धक भारत पेट्रोलियम कोर लिमिटेड

वन्लाल्सुआंगा दर्लान्ग
Vanlalsuanga Darlong
प्रादेशिक प्रबन्धक रीटेल, हिसार
Territory Manager Retail, Hisar
भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि.
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

c/s

Nawal Kishore, HFS
Divisional Forest Officer
Sirsa Forest Division, Sirsa
23/01/2022

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया — Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking

आन्ध्रा Andhra — कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 11-01-2023

Agency Name.	**BPCL AT KALANWALI**
Application No.	**70150645809**
MoEF/SG File No.	**9-HRB066-2022-CHA**
Location.	**HARAYANA**
Address.	**VPO KalanwaliSirsa**
Amount(In Rs)	**233133/-**

Amount In Words : Two Lakh Thirty-Three Thousand One Hundred and Thirty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**HARAYANA CAMPA**
IFSC Code:	**UBIN0996335**
Pay to Account No.	**1506970150645809** Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	**Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

c/s

Divisional Forest Officer
Sirsa Forest Division, Sirsa

23/01/2023

Note:After making the required payment through ch... even after 7 working days, then kindly mail a copy ... id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse... ubin0903710@unionbankofindia.bank

PUNBR-52023011110359590

11/1/23

ha.NOC IV

COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHERS TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHTS) ACT 2006.

TITLE OF THE CASE/PROJECT: Diversion of forest land 0.0030 ha.for access to Bharat Petroleum Corporation Limited along Kalanwali-Deshu road Km.0.590 (RHS) at Village Kalanwali, under Forest Division & Distt. Sirsa.

It is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.

for District Magistrate,
Sirsa.

For District Magistrate
SIRSA

Memo No. 2242 /PLA Dated. 20/09/2022

FCA
AV 23/01